म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / अनुज्ञा पत्र / 521 / 1946 भोपाल, दिनांक 15 / 12 / 2017

प्रति,

1 संयुक्त / उप संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / जबलपुर / सागर / रीवा

2 सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
म0प्र0 (समस्त)

विषयः—आनलाइन अनुज्ञा पत्र निरस्त करने के संबंध मे।

मण्डी समितियो में अनुज्ञप्तिधारी कृत्यकारियो द्वारा अधिसूचित कृषि उपजों के वाणिज्यिक संव्यवहार के अन्तर्गत, निर्धारित मापदण्ड की कृषि उपज के निष्पादित सौदों मे, विक्रित / प्रदाय की गई कृषि उपज की गुणवत्ता मे अंतर आने के परिणाम स्वरूप, व्यापारिक सौदे निरस्त होने के प्रकरण संज्ञान मे आये है एवं ऐसे प्रकरणो में प्राथमिक वाणिज्यिक विक्रेता को कृषि उपज वापिस प्राप्त होने पर अनुज्ञापत्रो को निरस्त करने एवं प्रश्नाधीन टैक्स पेड कृषि उपज पर मण्डी फीस से छूट का लाभ यथा स्थिति प्राप्त होने के संबंध मे विभिन्न व्यापारिक एसोसिएशन के द्वारा ज्ञापन भी दिये गये है।

दिनांक 01.4.2015 के पूर्व अनुज्ञापत्रो बुको से जारी मेनुअल अनुज्ञापत्रो प्ररूप—9 को उपरोक्तानुसार सौदा निरस्ती की स्थिति मे मण्डी स्तर से ही समुचित कार्यवाही की जाकर ऐसे प्रकरणो का निराकरण यथा समय किया जाता रहा है।

दिनांक 01.04.2015 के पश्चात अनुज्ञापत्रो को (मेनुअल) रूप से जारी किये जाने के साथ ही ई—अनुज्ञा पोर्टल पर भी दर्ज किया जा रहा है जिसके कारण उपरोक्त स्थिति मे सौदा निरस्तीकरण के प्रकरणों मे ऐसे ऑनलाइन अनुज्ञापत्रो को निरस्त करने मे कठिनाई आ रही है।

अतः ऐसे प्रकरणो मे निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाये :—

1/ जिस मण्डी क्षेत्र मे वाणिज्यिक संव्यवहार के अंतर्गत कृषि उपज अनुज्ञापत्र के माध्यम आयात हुआ है। उस मण्डी क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारक कृत्यकारी के द्वारा कृषि उपज को रिजेक्ट किये जाने की दशा मे फर्म / कंपनी के लेटरहेड पर रिजेक्शन नोट के साथ बिल बिल्टी एवं अनुज्ञापत्र की मूल प्रति सहित उस क्षेत्र के मण्डी सचिव को एक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा ।

2/ संबंधित मण्डी सचिव के द्वारा प्रश्नाधीन स्कंध का भौतिक सत्यापन व अभिलेखो का परीक्षण कराया जायेगा एवं मान्य होने की दशा में अनुज्ञापत्र जारीकर्ता मण्डी के सचिव को पत्र के माध्यम सम्पूर्ण प्रकरण अग्रेषित करते हुये अनुज्ञापत्र में उल्लेखित वाहन से प्रश्नाधीन स्कंध को उसके मण्डी क्षेत्र से वापस ले जाने के लिये अस्थाई रूप से परिवहन अनुमति दी जायेगी। प्रकरण के साथ मण्डी सचिव की टीप, फर्म / कंपनी के लेटरहेड पर रिजेक्शन नोट के साथ बिल बिल्टी एवं अनुज्ञापत्र की मूल प्रति अनिवार्य रूप से भेजी जायेगी एवं इस प्रकार के प्रकरणों को पृथक रूप से संधारित पंजी में इन्द्राज किया जायेगा। इस कार्यवाही का पर्यवेक्षण संबंधित आंचलिक अधिकारी द्वारा समय समय पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

3/ वाणिज्यिक संव्यवहार के अंतर्गत कृषि उपज रिजेक्ट होने की दशा मे उसी अनुज्ञापत्र/वाहन के माध्यम से कृषि उपज का प्रश्नाधीन स्कंध, विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को वापस प्राप्त होगा। स्कंध वापिसी के प्रमाण स्वरूप वाहन को मण्डी प्रांगण मे प्रवेश कराकर प्रांगण में लाई गई कृषि उपज की पावती एवं वाहन प्रवेश शुल्क रसीद के साथ सम्पूर्ण प्रकरण अनुज्ञापत्र जारी कर्ता मण्डी समिति के सचिव के समक्ष, उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 व 2 में उल्लेखित समस्त अभिलेखो के साथ विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

4/ मण्डी सचिव द्वारा वापस आये स्कंध का भौतिक सत्यापन एवं अभिलेखो का परीक्षण कराया जायेगा तथा समस्त कार्यवाही विधि मान्य पाये जाने की स्थिति मे प्रकरण को संबंधित आंचलिक संयुक्त/उपसंचालक से अनुमोदन उपरांत, प्रश्नाधीन स्कंध को अनुज्ञापत्र जारी कर्ता व्यापारी के खाते मे वापिस दर्ज कराया जाकर टैक्स पेड स्कंध का लाभ आगामी विक्रय हेतु पुनः अनुज्ञप्तिधारक व्यापारी को दिया जाना योग्य होगा। इस प्रकार के प्रकरणों को पृथक रूप से संधारित पंजी में इन्द्राज किया जायेगा। इस कार्यवाही का पर्यवेक्षण संबंधित आंचलिक अधिकारी द्वारा समय समय पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

5/ उपरोक्त समस्त कार्यवाही में मण्डी फीस अपवंचन अथवा दुरूपयोग होने की दशा मे संबंधित मण्डी सचिव एवं पर्यवेक्षण अधिकारी उत्तरदायी होगे।

6/ उपरोक्त समस्त कार्यवाही के उपरांत ऐसे अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण को ई–अनुज्ञा प्रणाली पोर्टल पर दर्ज कराये जाने हेतु आंचलिक अधिकारी के अनुमति पत्र पर चीफ प्रोग्रामर (एमआईएस) मण्डी बोर्ड व संचालक तकनीकी, नेशनल इन्फारमेटिक सेन्टर म0प्र0, भोपाल, के द्वारा आवश्यक संशोधन कार्यवाही की जायेगी।

7/ उपरोक्तानुसार निरस्त किये गये अनुज्ञापत्रो का मण्डीवार संकलन कर एकजाई गोषवारा आंचलिक अधिकारियो के द्वारा आंचलिक समीक्षा बैठक मे प्राप्त किया जाये, जिसकी मुख्यालय स्तर पर मासिक बैठक मे समीक्षा की जायेगी।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/बी–6/नियमन/अनुज्ञा पत्र/521/1947 भोपाल, दिनांक 15/12/2017

प्रतिलिपि :–

(1) प्रमुख सचिव, म0प्र0 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
(2) अपर/संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय। (समस्त)
(3) संचालक तकनीकी, नेशनल इन्फारमेटिक सेन्टर (NIC) म0प्र0, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(4) चीफ प्रोग्रामर (एमआईएस) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ।
(5) गार्ड फाइल/वित्त/प्रांगण/स्टोर शाखा।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल